दिनांक - 09.12.17

खण्डपीट कृ० 22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी शमशेर अली, शरीफ खां एवं इंतजार खां सहित अधिवक्ता श्री पी०के० वामी उप०।

फरियादी महबूब खां एवं आहत रूखसाना तथा सलमान उप0। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधि0 श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा की तोई <equation-block>

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी शरीफ खां पर भादसं की धारा 294, 325/34 ,323/34 (2 शीर्ष) एवं 506 भाग–2 तथा आरोपी शमशेर अली एवं इंतजार खां पर भा**0द0सं**0 की धारा 294, 325, 323, 323 / 34 एवं 506 भाग — 2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी शरीफ खां को भा०द०सं० की धारा 294, 325 / 34, 323 / 34 (2 शीर्ष) एवं 506 भाग –2 तथा आरोपी शमशेर अली एवं इंतजार खां को भा0दं०सं० की धारा 294, 325, 323, 323 / 34 एवं 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 09.01.18 निरस्त की जाती है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। 🗥

> प्रकरण में जप्तश्रदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 13.12.17 निरस्त की गई। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। भजा जान । खण्डपीठ सदस्य. क.1— क.2—

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) पीटासीन अधिकारी खण्डपीठ क०२२ गोहद ATTENDED TO THE PORT OF THE PARTY OF THE PAR

ALINIAN PARTA SUNTA BUST TO SUNTA SU